रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 235] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 1971/पौष 10, 1893
No. 235] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1971/PAUSA, 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 31st December 1971

No. DRAWBACK/PN-16.—Under Rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No.602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra-ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, with immediate effect:—

1. After Sub-serial No. 4415 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawback.
4416	Multi-cylinder high speed sizing machine	5% of the f. o. b. value

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1971

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०–16.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्रतिअदायगी) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी पी० ए०–1 में प्रकाशित तालिका में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

1. उपक्रम संख्या 4415 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

उपक्रम संख्या	माल का ब्यौरा	प्रति अदायगी की दर
4416	बहु सिलिंडरीय तेज गति की सज्जीकरण (साइजिंग) मशीन।	पोत लदान तक के खर्चे सहित मूल्य का 5 प्रतिशत।

इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने के साथ ही, उपर्युक्त माल के सम्बन्ध में अलग-अलग निर्यात/निर्यात-कर्त्ता के लिए निर्धारित सभी ब्रांड दरें समाप्त समझी जायेंगी।

No. DRAWBACK/PN-17.—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 with immediate effect:—

1. For Sub-Serial No. 2002 and the entries relating thereto the following shall be substituted namely:—

Sub-Serial No.	Description of goods	Rate of drawaback
2002	Tyres and tubes, allsorts excepting bicycle tyres and tubes but including tread rubber and flaps;	
	(1) From sizes with sectional width of 2·50 upto and including 6·70	(a) Rayon Rs. 0·67 per Kg. (b) Cotton Rs. 0·29 per Kg.
	(2) From sizes with sectional width of 7·00 upto and including 14·00	(a) Nylon Rs. 1·29 per kg. (b) Rayon Rs. 0·88 per kg. (c) Cotton Rs. 0·28 per
	(3) From sizes with sectional width of 15·00 and above nylon.	Rs. 1·19 per kg.
	(4) Tubes (11 sizes except cycle tubes).	Rs. 0·44 per kg.
	(5) Rickshaw covers (allsizes)	Rs. 0·30 per kg.
	(6) Flaps (allsizes).	Rs. 0·33 per kg.
	(7) Tread Rubber (allsizes)	Rs. ·36 per kg.

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०–17.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली 1971 (भारत के राजपत्र असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० सं० 602/2/70–प्रतिअदायगी) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 की सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०–1 में प्रकाशित तालिका में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे ।

1. उपक्रमांक 2002 तथा तत्सम्बन्धी प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा, अर्थात :—

उपक्रम संख्या	माल का ब्यौरा	प्रति अदायगी की दर
2002	सभी प्रकार के टायर तथा ट्यूब जिसमें बाइसिकिल टायर तथा ट्यूब शामिल नहीं हैं, किन्तु ट्रेड रबड़ तथा फ्लैप शामिल हैं	
	(1) 2.50 से 6.70 तक तथा उसके सहित खंडीय चौड़ाई के आकार से	(क) रेयन 0.67 पैसे प्रति किलोग्राम (ख) सूत 0.29 पैसे प्रति किलोग्राम
	(2) 7.00 से 14.00 तक तथा उसके सहित खंडीय चौड़ाई के आकार से	(क) नाइलोन 1.29 रुपये प्रति किलोग्राम (ख) रेयन 0.88 रु० प्रति किलोग्राम (ग) सूत 0.28 रु० प्रति किलोग्राम
	(3) 15.00 तथा इससे अधिक की खंडीय चौड़ाई के आकार से	नाइलोन 1.19 रु० प्रति किलोग्राम
	(4) ट्यूबें (जिनमें साइकिल ट्यूबें छोड़ कर सभी आकार की ट्यूबें शामिल हैं)	0.44 रु० प्रति किलोग्राम
	(5) रिक्शा-आवरण (सभी आकार के)	0.30 रु० प्रति किलोग्राम
	(6) फ्लैप (सभी आकार के)	0.33 रु० प्रति किलोग्राम
	(7) ट्रेड रबर (सभी आकार के)	0.36 रु० प्रति किलोग्राम

No. DRAWBACK/PN-18.—Under Rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F. No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra Ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table annexed to the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971, with immediate effect, namely:—

In Clause (b) of the Note under Sub-Serial No. 4609 for the expression "6 per cent of the F.O.B. value of Starters" the expression "6.75 per cent of the F.O.B. Value of Starters" shall be substituted.

B. N. RANGWANI,
Joint Director (DRAWBACK).

सं० प्रतिअदायगी/पी० एन०—18.—सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रति अदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70 डी०बी०के०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिअदायगी/पी०एन०-1 दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित तालिका में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, जो तत्काल लागू होंगे :—

उपक्रम संख्या 4609 के अधीन टिप्पणी के खंड (ख) में "स्टार्टरों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "स्टार्टरों के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 6.75 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

बी० एन० रंगवानी,

संयुक्त निदेशक, प्रतिअदायगी

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971